पंजीकृत/ई–मेल

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर।
दूरभाष 0551–2580010 ई–मेल: ceogida-up@up.gov.in

निरस्तीकरण नोटिस

पत्रांकः 943/सम्पत्ति–नौ/बी–22, से0–15/2023–24, दिनांकः 14जून,2023

श्री राजा राम यादव पुत्र श्री केशव प्रसाद यादव,
निवासी–ग्राम–सुती, पोस्ट–सुकरौली,
तहसील–खजनी, जिला–गोरखपुर।

अवगत कराना है कि आप द्वारा आवेदन फार्म संख्या 2003 दिनांक 07.02.2013 के माध्यम से गीडा क्षेत्र के औद्योगिक भूखण्ड आवंटन हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में गीडा द्वारा आपके पक्ष में आवंटन पत्र संख्या 601/सम्पत्ति–नौ/भू0सं0 बी–22, से0–15 दिनांक 06.06.2014 के माध्यम से भूखण्ड संख्या बी–22, सेक्टर–15, क्षेत्रफल–199.24 वर्ग मीटर का आवंटन ग्रेवियर प्रिन्ट लेमिनेशन के उत्पाद की इकाई स्थापित करने हेतु किया गया है।

गीडा द्वारा जारी आवंटन पत्र संख्या–601 दिनांक 06.06.2014 के बिन्दु संख्या–5 में निम्नवत् प्राविधानित है–
"भूखण्ड प्रीमियम के शेष रू0 का भुगतान आप आठ बराबर छमाही किश्तों में करेंगे, ब्याज सहित प्रीमियम की किश्त की देय तिथि प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई होगी।" आप द्वारा अभी तक प्रीमियम एवं ब्याज का भुगतान समय से नहीं किया गया है।

इसी प्रकार आवंटन पत्र के बिन्दु संख्या संख्या 13 के अनुसार अनुज्ञप्ति अनुबन्ध निष्पादन के बाद कब्जा लिये जाने हेतु जारी आमंत्रण की तिथि से 30 दिन के अन्दर या इस पत्र की तिथि से तीन माह के अन्दर जो भी पहले समाप्त हो, भूमि का कब्जा प्राप्त कर लेंगे, परन्तु आप द्वारा आज तक भूखण्ड का लीज डीड निष्पादित कराते हुए कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। आवंटन पत्र के नियम संख्या 14 के अनुसार आवंटन तिथि से दो वर्ष के अन्दर इकाई को उत्पादनरत किया जाना भी अनिवार्य था।

वर्तमान में भूखण्ड आवंटन की तिथि से लगभग 9 वर्षों के समयान्तराल में आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष न तो आप द्वारा अद्यतन देयों का भुगतान किया गया है और न ही भूखण्ड का लीज डीड निष्पादित कराकर कब्जा लेकर निर्माण कार्य प्रारम्भ भी नहीं किया गया है। गीडा द्वारा अनेक पत्रों यथा पत्र संख्या 2686 दिनांक 15.12.2017; पत्र संख्या 2811 दिनांक 28.12.2018; पत्र संख्या 176 दिनांक 22.04.2019; पत्र संख्या 445 दिनांक 24.06.2020; पत्र संख्या 1889 दिनांक 28.09.2020, पत्र संख्या 3240/28 दिनांक 06.01.2021, पत्र संख्या 450 दिनांक 11.06.2021, पत्र संख्या 2943/11 दिनांक 09.12.2021, पत्र संख्या 1350/20 दिनांक 23.06.2022, तथा पत्र संख्या 4778/118 दिनांक 20.12.2022 के माध्यम से आपको अतिदेय धनराशि जमा करने एवं लीज डीड निष्पादित कराकर कब्जा प्राप्त करने व इतने लम्बे समयान्तराल के पश्चात भी निर्माण कार्य न किये जाने के सम्बन्ध में पत्र जारी किये गये है।

गीडा द्वारा बार–बार यह अनुरोध किया गया कि आवंटित भूखण्ड पर आवंटन पत्र की शर्तों के अनुसार इकाई को क्रियाशील किया जाय, किन्तु आपके द्वारा अब तक न ही

आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष अतिदेयों का भुगतान किया गया और न ही लीज डीड निष्पादित कराते हुए कब्जा प्राप्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया।

उपरोक्त से प्रतीत होता है कि प्रस्तावित परियोजना के प्रति आप उदासीन हैं तथा आप उक्त परियोजना को क्रियान्वित करने के इच्छुक नहीं हैं। गीडा द्वारा आवंटित किये गये भूखण्ड पर परियोजना के क्रियाशील न होने के कारण गीडा क्षेत्र का विकास प्रभावित होता है।

यह भी सूच्य है कि आवंटित भूखण्ड संख्या बी–22, सेक्टर–15, क्षेत्रफल–199.24 के सापेक्ष कम्प्यूटराइज्ड लेजर के अनुसार दिनांक 01.01.2023 तक प्रीमियम एवं ब्याज मद में रू0 1,77,096.00, रख–रखाव शुल्क रू0 21,385.00 एवं लीजरेंट रू0 3,190.00 देय है। दिनांक 01.01.2023 के बाद भुगतान की तिथि तक का ब्याज पृथक से देय होगा। गीडा आवंटन नियमावली के अध्याय–6 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार औद्योगिक योजना के ऐसे आवंटी जिनके द्वारा आवंटन/हस्तान्तरण तिथि से 2 वर्ष की अवधि के उपरान्त निर्माण नहीं किया गया है, पर समय विस्तारीकरण शुल्क एवं पुनर्जीविकरण शुल्क भी देय होगा।

उपरोक्त परिस्थितियों में एतद्द्वारा आपको यह निरस्तीकरण नोटिस इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आवंटन पत्र की उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार, निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात लगभग 9 वर्षों में भी भूखण्ड के सापेक्ष अद्यतन देयों का भुगतान कर लीज डीड निष्पादित न करने के कारण क्यों न आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या बी–22, सेक्टर–15, क्षेत्रफल–199.24 वर्गमीटर का आवंटन निरस्त करते हुये नियमानुसार जमा धनराशि गीडा के पक्ष में जब्त कर लिया जाय तथा उक्त भूखण्ड का कब्जा पुनर्ग्रहित कर लिया जाय।

इस **'<u>निरस्तीकरण नोटिस</u>'** की प्राप्ति की तिथि से 15 दिन के भीतर गीडा कार्यालय को, प्रमाण सहित लिखित रूप से अपना कथन प्रस्तुत करें कि क्यों न, आवंटन पत्र में वर्णित नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने के कारण आपके पक्ष में आवंटित भूखण्ड संख्या बी–22, सेक्टर–15, क्षेत्रफल–199.24 वर्गमीटर का आवंटन निरस्त कर दिया जाय। यदि निर्धारित अवधि में आपका कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जोयगा कि इस सम्बन्ध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा आपके पक्ष में नियमानुसार आवंटित भूखण्ड के निरस्तीकरण, धनराशि जब्तीकरण तथा भूखण्ड के पुनर्ग्रहण की एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। इस निरस्तीकरण नोटिस को गीडा की ओर से अन्तिम नोटिस माना जाये।

(पवन अग्रवाल)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।